

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-PMGSY-238/2021
प्रेषक,

10/6/2022 / पटना, दिनांक-18/04/2022

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज।

विषय:- शीर्ष PMGSY के तहत कार्य प्रमंडल-महाराजगंज के अन्तर्गत L063 - Madarpur to Lakri (Track 17),
पैकेज संख्या-BR-34R-338 पथ के मदों में हुई वृद्धि के अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक-II/मु0अ0-3,त0स्वी0-10-114/21-8020 अनु0,
दिनांक-19.11.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से उक्त कार्य का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन मदों में वृद्धि के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी में वर्णित मद संख्या 15. (Prime Coat...) में 81.70 प्रतिशत, 16. (Tack Coat...) में 81.70 प्रतिशत एवं मद संख्या 19. (M.S.S...) में 81.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। सुलभ प्रसंग हेतु अनुमोदित मदों की मात्रा की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। पुराने मदों में वृद्धि को एकरारनामा के अंतर्गत शामिल करने हेतु विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

विभागीय पत्रांक-मु0अ0- 4(मु0)विविध(कार्य)-23- 116/2017-3446, दिनांक-18.09.2020 के आलोक में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के आलोक में बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि रू0 24.55 लाख का भुगतान मरम्मत शीर्ष 3054 से भारित होगा।

उल्लेख करना है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये एवं व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।

उपरोक्त कृत कार्य हेतु क्षतिग्रस्त पथांश में स्थाई पुर्नस्थापन कार्य करने के पूर्व के क्षतिग्रस्त अवधि का पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण की राशि भुगतान नहीं की जायेगी/कटौती कर ली जायेगी।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के मद वृद्धि का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अभियंता प्रमुख

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

ज्ञापक-BRRDA(HQ)-PMGSY-238/2021

10/6

/पटना, दिनांक-18/04/2022

प्रतिलिपि-मुख्य अभियंता-3, ग्रा0का0वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल,सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

ज्ञापक-BRRDA(HQ)-PMGSY-238/2021

10/6

/पटना, दिनांक-18/04/2022

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, अनुरक्षण कोषांग, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।



Division-Maharajganj

[illegible]

Res

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-10-114/21

पटना दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सिवान

विषय:-शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, महाराजगंज के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्ता 01 अदद पथ के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक- 314 अनु0 दिनांक-26.04.2022, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007/6439/वि0 पटना, दिनांक-28.08.2018 एवं अभियंता प्रमुख का पत्रांक-1016 अनु0 दिनांक-18.04.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, महाराजगंज के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	A.A Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (As per Agmt. Rate)	FDR Amount (in lakh) (As per Agmt. Rate)
1.	Maharaganj	L063-Madarpur To Lakri (Track-17) (BR-34R-338)	4.050	6595/15.12.16	209.80	214.28	24.55

- निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान को निर्देश दिया जाता है कि नये मर का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- अनु०- स्वीकृत प्रावकलन की मूल प्रति।

विश्वरामभाजन

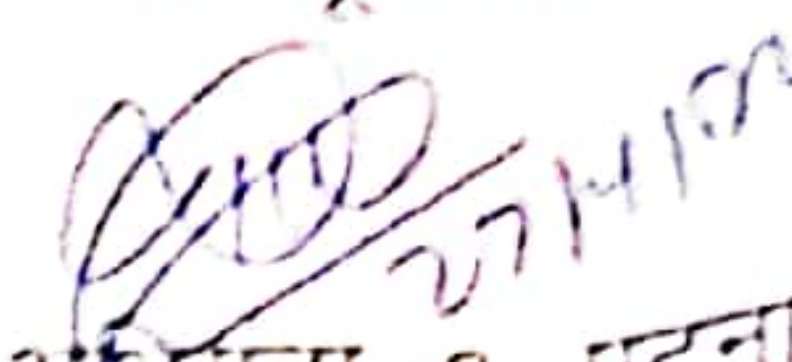
80/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

पटना, दिनांक:- 27-4-22

झापांक:- 1952

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


मुख्य अभियंता-3, पटना

AA vide letter no. 6575 dt 13/12/22

$L = 4.05 \text{ KM}$

Const. = 201.10

M/c = 8.70

Total = 209.80 lakh

Revised		Agmt Rate = 107.5% below	
Const. =	202.07	→	181.86
M/c =	27.28	→	24.55
M/c =	8.74	→	7.87
Total =	238.09		214.28 lakh
	lakh		

YGC
29/04/22
Ex Engineer

26/04/22
Superintending Engineer
R.W.D. Work. Circle, Siran

R. K. S.
26/04/22
R

4.05 KM

Revised Technically Sanctioned of Road Length.....KM for Rs. 214.28 Lakh
(.....Two.....Crore.....fourteen.....Lacs.....twenty eight.....Thousand) only

Sanction of Estimate does not mean Sanction of rates
Conditions and directions laid down in attached technical spec.
with the DPR is to be followed Strictly.

B.
27/4/22
AE, RWD

Wan
27/4/22
E.E.
RWD

(W)
27/4/22
RWD

तकनीकी प्रतिवेदन

ोजना का नाम	:-	मदारपुर से लकड़ी
द	:-	PMGSY, Package No- BR-34R-338
प्रमंडल	:-	लकड़ीनवीगंज
विकलित राशि	:-	महाराजगंज
नरीक्षित प्राक्कलित	:-	24.55 27.283 लाख
शि	:-	229.355 लाख
ल लम्बाई	:-	4.050 कि०मी०
रम्मति योग्य लम्बाई	:-	1.300 कि०मी०

प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन जो मात्र 27.283 लाख का है। पूर्व में पथ के विभिन्न नेज पर आई बाढ के कारण पथ के क्षतिग्रस्त पथांश के पुनर्स्थापन के लिए तैयार किया जा है। आवागमन को बहाल करने हेतु तत्काल आवश्यक मरम्मत करा दिया गया था।

उक्त पथ शीर्ष PMGSY के तहत चतुर्थ वर्ष के अनुरक्षण अवधि में है। विभागीय त्रंक 3446 दिनांक- 18.09.2020 के निर्देशानुसार पथ की विशिष्टि के अनुरूप स्थाई नस्थापन हेतु पथ के क्षतिग्रस्त भाग में पूर्व के प्राक्कलन में प्रावधानित मद में स्थल के नुरूप GSB, WBM Gr-III एवं MSS आवश्यकता अनुसार एवं एक नया पुलिया का निर्माण क्षतिग्रस्त भाग में करने का प्रावधान कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है।

प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त मदों में हुई वृद्धि का नुमोदन प्राप्ति के पश्चात् पथ की तकनीकी स्वीकृति अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

19/04/22
नाय अभियंता

19.04.22
सहायक अभियंता

19/04/22
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

शीर्ष

:-

PMGSY , पैकेज 210 > BE-340-339

पथ का नाम

:- मदाशपुर से लकड़ी

लम्बाई

:- 4.05 कि०मी०

दिनांक-

को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज अन्तर्गत

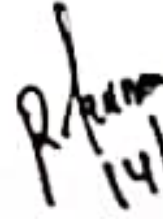
PMGSY योजना अन्तर्गत मदाशपुर से लकड़ी का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2020 में आए अप्रत्याशित बाढ़ के कारण पथ में Shoulder, MSS & WBM Gr-III कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। पथ के क्षतिग्रस्त होने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज द्वारा क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्स्थापन हेतु Permanent Restoration के तहत पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में Shoulder की मरम्मत के साथ Surface में WBM Gr-III करने के पश्चात MSS का प्राक्धान किया गया है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग से संबंधित विवरणी प्राक्कलन के साथ संलग्न है। तकनीकी प्रतिवेदन में भी वस्तुस्थिति अंकित है। फलस्वरूप कार्य हित में पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।


14/06/21

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य अंचल, सिवान।


14/06/2021